न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराना 104 / 2022 नया न0 419 / 2022
वाद दायरी दिनांक — 06.07.2022
मोहम्मद अयुब खां पुत्र अहमद खां, उम्र 55 वर्ष, जाति कसाई मुसलमान, निवासी ग्राम टाई, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. मोहम्मद रफीक पुत्र अहमद आं
2. जैतुन बानो पत्नी गुलाब नबी
3. अनवर अली पुत्र गुलाब नबी
4. मोहम्मद लतीफ पुत्र गुलाब नबी
5. अफरीन पुत्री गुलाब नबी
6. कलसुम बानो पुत्री गुलाब नबी
7. फिरदोश बानो पुत्री गुलाब नबी

समस्त जाति कसाई मुसलमान, निवासी ग्राम टाई, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

8. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः— 26.06.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि जमीन हाल खसरा नं. 1419/481 व 325 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर भूमि ग्राम टाई, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जो वादी की पैतृक भूमि है जिसका वादी रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त है। वादी ने अपनी कब्जे काश्त की भूमि में मकानात बना रखे है तथा मय परिवार रहवास करता है।जमीन हाल खसरा नं. 1420/481 व 484 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर भूमि ग्राम टाई, तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जो प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक भूमि है जिसका प्रतिवादी सं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त है।जमीन हाल खसरा नं. 481 कुल किता 1 कुल रकबा 3.04 हेक्टर भूमि ग्राम टाई, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जो प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 की पैतृक भूमि है जिसके प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त है।जमीन हाल खसरा नं. 326, 479, 480 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हेक्टर भूमि ग्राम टाई, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की पैतृक भूमि है जिसमें 1/3 हिस्से का वादी, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी स. 1 व 1/3 हिस्से के प्रतिवादी स. 2 लगायत 7 संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।यह कि बाद पत्र की धारा लगायत 4 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी स 1 व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के पति व पिता की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि थी। जिसका वादी, प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के पति व पिता के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ था। उक्त भूमि के आपसी विभाजन में वादी के हिस्से में वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि आई व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि आई तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7

के पति व पिता गुलाब नबी के हिस्से में वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि आई। वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित वादी व प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 लगायत 7 के पति व पिता की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी सं 2 लगायत 7 के पति व पिता का देहान्त होने पर वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि जरिये उत्तराधिकार वादी व प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 लगायत 7 के हिस्से आई व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया।वाद पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित भूमि की बाबत कोई विवाद वादी एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के मध्य नही है परन्तु वाद पत्र की धारा 1 लगायत 4 की भूमि पैतृक भूमि रही है जिसमें विभाजन से पूर्व वादी व प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 लगायत 7 के पति व पिता का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 के पति व पिता गुलाब नबी का देहान्त होने से व पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होनसे वादी व प्रतिवादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 को दावा में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।बाद पत्र की धारा 1 लगायत 4 में वर्णित भूमि के विभाजन के 2016 ममता समय पटवारी हल्का द्वारा विभाजन में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त के अनुसार ही भूमि का विभाजन किया था परन्तु विभाजन के पश्चात नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1420/481 का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी सं. 1 नाम दर्ज कर दिया व प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 1419/481 का राजस्व रिकॉर्ड वादी के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी एव प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त विभाजन में दर्ज अनुसार रहा है व वर्तमान में भी है।राजस्व कर्मचारियों की भूल एंव सहवन से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादी को पूर्व में नही रही, ना ही कभी वादी ने इस ओर ध्यान दिया। दिंनाक 06.06.2022 को वादी अपने नाम से चल रहे कृषि ऋण की लिमिट को बढ़ाने के लिये पटवारी हल्का से जमाबन्दी निकलवाने गया तब वादी को पटवारी हल्का द्वारा सहवन व भूल से दर्ज गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी दी गई। तब वादी ने दिंनाक 08.06.2022 को सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड व नामान्तकरण की नकले निकलवाने पर उपरोक्त गलत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की सम्पूर्ण जानकारी हुई।वादी को गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से सहमति से गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने केलिये कहा तो प्रतिवादी स समय नहीं होने की कहकर टालता रहा। तम वादी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय मण्डावा के यहां रिकॉर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने बिना सक्षम न्यायलय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया। इस कारण बादी को अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।सिद्धिया (क) यह कि वाद वादी डिक्री इस प्रकार किया जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 व 2 में दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम पूर्व में हुये कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें व नई खतौनी जारी की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 लगायत 08 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी न0 02 व 03 की ओर अभिभाषक अजय कुमार मुन्दडिया ने उपस्थित होकर आदेशिका पर वाद वादी स्वीकार की टिप्पणी अंकित की गइ।

उड अधिकारी

वादीगण की ओर मोहम्मद अयूब खां पुत्र अहमद खां ने साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ
व पेश किया । जिस पर दस्तावेज प्रदर्श 1 नामान्तरकरण संख्या 705,प्रदर्श –2 नक्शा मौका प्रदर्श
3 आपसी सहमती विभाजन आदेश दिनांक 20.06.2016 प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बाद पर शीघ्र बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान
अधिवक्ता वादी की ओर से बाद वादी स्वीकार किया जाकर बाद वादीगण डिक्री किया जाकर जमीन
तल बाद पत्र की मद सं. 1 व 2 में दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम पूर्व में हुये कब्जा
काश्त के अनुसार विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें व
नई खतौनी जारी करने का निवेदन किया ।

विधि मे भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार है। आपसी सहमती विभाजन आदेश दिनांक 20.06.2016 के अनुसार विभाजन हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायाचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम टांई के भूमि ख.न. 1419/481 व 325 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर , खसरा नं. 1420/481 व 484 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर , खसरा नं. 481 कुल किता 1 कुल रकबा 3.04 हेक्टर , खसरा नं. 326, 479, 480 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हेक्टर का पूर्व आपसी सहमती विभाजन आदेश दिनांक 20.06.2016 के अनुसार में दुरूस्त किये जाने का आदेश जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06..2025 को खुले न्यायांलय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 419/2022 अयुब बनाम रफीक वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.06.2026 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम टांई के भूमि ख.न. 1419/481 व 325 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर , खसरा नं. 1420/481 व 484 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 हेक्टर , खसरा नं. 481 कुल किता 1 कुल रकबा 3.04 हेक्टर , खसरा नं. 326, 479, 480 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हेक्टर का पूर्व आपसी सहमती विभाजन आदेश दिनांक 20.06.2016 के अनुसार में दुरूस्त किये जाने का आदेश जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा